कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक/5036/सां./2015 भोपाल, दिनांक 9.10.15

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः– वार्षिक आय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित् करने बाबत्।

–0–

विभाग द्वारा अब तक अर्जित की गई आय की समीक्षा में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है ।

2. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष बचे समय में आपके जिले के लिए निर्धारित किये गये आय लक्ष्य से अधिक आय अर्जित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

(1) दस्तावेजों के पंजीयन उपरांत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करे, तथा न्यून मूल्यांकित दस्तावेजों में प्राथमिकता के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाकर कमी स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क की वसूली करें।

(2) आपके पास लंबित समस्त स्टाम्प तथा आर.आर.सी प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर निराकरण करें तथा उनमें बकाया स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क की वसूली करें ।

(3) जिले के सभी लोक कार्यालयों यथा–कृषि उपज मंडी समिति, रोगी कल्याण समिति, माईनिंग विभाग, नगरीय संस्थाओं, गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण आदि/ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण कर कमी स्टाम्प शुल्क के दस्तावेजों में शुल्क की वसूली करें ।

(4) कंपनियों के अमलगमेशन/मर्जर/डी–मर्जर के दस्तावेजों का निरीक्षण/परीक्षण कर उनमें कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/5037/सां./2015
प्रतिलिपिः—

भोपाल, दिनांक 7-10-15

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.09.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया अपने परिक्षेत्र के सभी जिलों में जिला पंजीयकों द्वारा आय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक समीक्षा कर जानकारी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तथा 20 तारीख को मुझे भेजें।
4. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश